FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

.... किशनाराम .... बनाम .... रेवाराम वगैरा ....

किस्म मुकदमा ....111,128 .... नं. 366/2020 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.11.20	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री .... नरपतचन्द ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा .... 111,128 .... राजस्थान ~~काश्त~~कारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
28/12/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 16/02/2021 को पेश हो।	
16/02/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 15/03/2021 को पेश हो।	
15/03/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 21/06/2021 को पेश हो।	

21/06/2021

पत्रावली पेश हुई वकलाय परिकंन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अत: पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 11/08/2021
को पेश हो।

11/08/2021

पत्रावली पेश हुई वकलाय परिकंन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अत: पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 27/10/2021
को पेश हो।

27/10/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अदालत। चूंकि पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने के सिलसिले इन्तजार होकर आगामी दिनांक 23/05/2022 को पेश हो।

23/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों 2, 3 नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23/06/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख **हुक्म**	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिंपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1039

दिनांक : 23/06/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. किशनाराम पुत्र घमण्डाराम,
जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा,
पटवार मण्डल खारडा भारतसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. रेखाराम पुत्र मगाराम वगैरा 11,
जाति जाट, निवासी खारडा भारतसिंह,
पटवार मण्डल खारडा भारतसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 366 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – हनुमानपुरा, पटवार मण्डल – खारड़ा भारतसिंह, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 361 / 121 रकबा 36.04 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 23/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1040 – 1044

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का खारड़ा भारतसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र घमण्डाराम,
4. विप्रार्थी श्री रेखाराम पुत्र मगाराम वगैरा 11,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला – बाड़मेर